

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी /
आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद-सहारनपुर, आगरा, सिद्धार्थ नगर एवं संतकबीर नगर।

पत्रांक: 2886/008-MONITERING AND COMPUTERIZATION / पि0व0क0 / 2017-18

दिनांक: 28 मार्च, 2018

विषय: पिछड़े वर्ग के हितार्थ संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का आबंटन।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुश्रवण एवम् कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत व्यय हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 06/2017/151/64-2-2017-1(16)/2017, दिनांक 21 अप्रैल, 2017 द्वारा रू0 16,66,000.00 एवं शासनादेश संख्या 13/2017/654/64-2-2017-1(16)/2017, दिनांक 16 अगस्त, 2017 द्वारा रू0 1,08,34,000.00 कुल रू0 1,25,00,000.00 (रूपया एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 79142.00 (रूपया उन्यासी हजार एक सौ बयालिस मात्र) का आबंटन शासनादेश में अंकित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है:-

1. आबंटन कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार आबंटन आप द्वारा की गई मांग के आधार पर किया जा रहा है। भुगतान वास्तविक मांग के अनुसार ही किया जा रहा है। नियमानुसार भुगतान के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तो उसका समर्पण कारण स्पष्ट करते हुए तत्काल कर दिया जाये।
2. स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-08-पिछड़े वर्गों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवम् कम्प्यूटरीकरण-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सम्पूर्ण, मुख्य, उपमुख्य, लघु तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अवष्य अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

5. बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में विभागीय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा आबंटन के सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में वाउचर संख्या तिथि तथा आहरित धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर भेजना सुनिश्चित किया जाय। अनुपालन न करने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
6. कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखा-जोखा रखना अनिवार्य होगा।
प्रमाणित किया जाता है कि यह आबंटन निदेशालय आबंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 28 से 32 पर अंकित है।
संलग्नक : यथोक्त।


भवदीय,


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक।


(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

पत्रांक: 2886 008-MONITERING AND COMPUTERIZATION / पि0व0क0 / 2017-18तददिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, ~~सहारनपुर, उन्नाव, सिद्धार्थनगर एवं संतोषीरनगर~~
- 4- बिल सहायक, मुख्यालय।
- 5- नजारत, मुख्यालय।


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-28/03/2018

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 008-MONITERING AND COMPUTERIZATION
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
277 - शिक्षा
08 - पिछड़े वर्गों के लिये संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16771 100626	16771 100626
2	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16771 100626	16771 100626
3	सिद्धार्थनगर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9120 92975	9120 92975
4	संत कबीर नगर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	36480 120335	36480 120335
	योग	वर्तमान प्रगामी	79142 414562	79142 414562

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उत्रासी हजार एक सौ बयालीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार लाख चौदह हजार पाँच सौ बासठ


(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी